

न्यायालय संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :- डॉ. श्रीमती प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी संख्या :- 4/2023

जी.सी.एम.एस नंबर :- 2023/207

अपीलाण्ट/प्रार्थीगण :-

बनाम

रेस्पोजेन्ट/अप्रार्थीगण :-

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. श्रीमती प्रेमलता पत्नी कानाराम, जाति मेघवाल उम्र 55 वर्ष, निवासी सी एस 88 शिवाजीनगर, पाली 2. कानाराम पुत्र मीसरीलाल जाति मेघवाल उम्र 60 वर्ष निवासी सी एस-88, शिवाजीनगर पाली | <ol style="list-style-type: none"> 1. नगर परिषद, पाली जरिये आयुक्त नगर परिषद, पाली 2. मन्जू पत्नि श्री ललित सिंघवी, जाति जैन निवासी 43 ब्रिज बालेश्वर मुम्बई-6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

निगरानी अन्तर्गत धारा 73(ख)(4) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009
बरखिलाफ आदेश दिनांक 24-05-2013

उपस्थिति :-

1. श्री चेतन प्रकाश सोनी विद्वान अभिवक्ता, अपीलाण्ट
2. श्री रामलाल भाटी, विद्वान अभिवक्ता, रेस्पोजेन्ट संख्या 1
3. श्री पीराणे खान, विद्वान अभिवक्ता, रेस्पोजेन्ट संख्या 2

:: निर्णय ::

दिनांक:- 30 मई, 2024

पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट/प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 24.05.2013 के द्वारा आयुक्त, नगर परिषद, पाली द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अंतर्गत भूमि का पट्टा विलेख जारी करने से व्यथित होकर प्रार्थीगण यह निगरानी न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा रेस्पोजेन्ट्स/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई।

4. विद्वान अभिवक्ता वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिवक्ता ने अभिकथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी एवं खरीद सुदा भूमि ग्राम गांजनगढ पटवार क्षेत्र खालडा तहसील रोहट जिला पाली में खसरा नम्बर- 543 रकबा 37 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी कृषि भूमि आई हुई थी। उक्त कृषि भूमि को प्रार्थीया प्रेमलता के फर्जी हस्ताक्षर करके प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि के पट्टे धारा 90 ए लिया जाने का कार्य किया गया और 13 फर्जी पट्टे बनाये। दिनांक 21.03.2011 को प्रार्थीया प्रेमलता के फर्जी हस्ताक्षर करके मानविकी अनुमोदन करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। दिनांक 30.04.2013 अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष

संभागीय आयुक्त,
पाली

खसरा नम्बर 543 रकबा 37 बीघा 17 बिरवा भूमि के फार्म हाउस की सूची पढ़े जारी करने के संबंध में सूची प्रार्थीया के फर्जी हस्ताक्षर करके पेश की गई। उक्त फर्जी सूची को मोहम्मद असलम नोटेरी पाली ने अपने हस्ताक्षरों को तस्दीक किया। मोहम्मद असलम नोटेरी को यह जानकारी थी कि यह फर्जी हस्ताक्षर करने वाली प्रेमलता नहीं है। फिर भी सुरेशचन्द्र की पहचान कर फर्जी हस्ताक्षर तस्दीक किये गये उक्त सूची में नाकोडा भैरूनाथ फार्म हाउस योजना का नाम रखा गया, जिसकी सूची निम्न प्रकार है-

क्रम संख्या	फार्म हाउस संख्या	नाम मय पता	क्षेत्रफल
1.	1.	श्री देवेन्द्र डागा/पदमचन्द डागा निवासी ई 33 वी डी नगर, पाली	2965.48
2.	2.	श्री जगजीत डागा/अभय डागा निवासी ई 33 वी डी नगर, पाली	2962.93
3.	3.	श्री जगजीत डागा पुत्र अभय डागा निवासी ई 33 वी डी नगर, पाली	4702.34
4.	4.	श्री देवेन्द्र डागा/पदमचन्द डागा निवासी ई 33 वी डी नगर, पाली	3141.18
5.	5.	श्री देवेन्द्र डागा/पदमचन्द डागा निवासी ई 33 वी डी नगर, पाली	2904.29
6.	6.	श्री देवेन्द्र डागा/पदमचन्द डागा निवासी ई 33 वी डी नगर, पाली	2669.71
7.	7.	श्री जगजीत डागा/अभय डागा निवासी ई 33 वी डी नगर, पाली	2784.68
8.	8.	श्रीमति मन्जू पत्नी ललित सिंघवी निवासी ब्रिज रोड, बालेश्वर मुम्बई	3064.05
9.	9.	श्रीमति मन्जू पत्नी ललित सिंघवी निवासी ब्रिज रोड, बालेश्वर मुम्बई	2912.30
10.	10.	श्रीमति मन्जू पत्नी ललित सिंघवी निवासी ब्रिज रोड, बालेश्वर मुम्बई	4926.92
11.	11.	श्रीमति करिश्मा पुत्री ललित सिंघवी निवासी 43 ब्रिज रोड, बालकेश्वर मुम्बई	4181.14
12.	12.	श्रीमति करिश्मा पुत्री ललित सिंघवी निवासी 43 ब्रिज रोड, बालकेश्वर मुम्बई	4898.59
13.	13.	श्रीमति करिश्मा पुत्री ललित सिंघवी निवासी 43 ब्रिज रोड, बालकेश्वर मुम्बई	3328.84

उक्त सूची नगर परिषद आयुक्त पाली को पेश कर नाकोडा भैरूनाथ फार्म हाउस योजना के नाम से पढ़े जारी करने का फर्जी प्रार्थना पत्र पेश किया।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि फर्जी सूची के आधार पर देवेन्द्र डागा पुत्र पदम चन्द डागा ने नगर परिषद पाली से पट्टा संख्या 6853, 6854, 6857, 9858 दिनांक 24.05.13 को अपने नाम से पट्टा जारी करवा कर दिनांक 26.9.13 को उप फंजीशन रोहट के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया गया। उक्त रजिस्ट्रेशन पर राकेश मेहता पुत्र पृथ्वीराज मेहता उम्र 44 वर्ष निवासी पांच सोलंकीयो का बास पाली व सुरेन्द्र पुत्र रामलाल व रमजान खान पुत्र बाबू खां निवासी बर ने साख डाली है जो साख

संभागीय आयुक्त,
पाली

जानबूझ कर षडयन्त्र रच कर डाली है। जगजीत डागा पुत्र अभय डागा जाति जैन निवासी ए 33, वीर दुर्गादास नगर पाली ने पट्टा संख्या 6855, 6856 नगर परिषद से जारी करवा कर दिनांक 26.09.13 के उप पंजीयक रोहट में पंजियन करवाया जिस पर राकेश मेहता व रमजान खां मोयल के साख के रूप में हस्ताक्षर किये गये। इसी तरह श्रीमति मंजू पत्नी ललित सिंघवी उम्र 50 वर्ष, निवासी 44, ब्रिज रोड बालकेश्वर मुम्बई ने पट्टा संख्या 6859, 6860 व 6861 को नगर परिषद ने जारी करवा कर दिनांक 08.10.2013 को उप पंजियक रोहट में रजिस्टर्ड करवाया जिस पर राकेश मेहता व रमजान खां ने साक्ष्य में हस्ताक्षर किये इसी तरह श्रीमति करिश्मा सिंघवी पुत्री ललित सिंघवी जाति जैन उम्र 25 वर्ष, निवासी 43, ब्रिज रोड, बालकेश्वर मुम्बई, ने पट्टा संख्या 6882, 6863, 6864 नगर परिषद पाली से जारी करवा कर दिनांक 08.10.13 को उप पंजियक रोहट में पंजियन करवाया। उक्त पट्टों पर राकेश मेहता व रमजान खान ने साख डाली है। मुस्तगीसा की खसरा नम्बर 543 की रकबा 37 बीघा 17 बिस्वा किसम बारानी दायम की संपूर्ण कृषि भूमि को धोखा धडी से षडयन्त्र रच कर कूट रचित दस्तावेज की रचना कर छल के प्रयोजन के लिए कूट रचना की दस्तावेज को कूटरचित होना जानते हुए उसे असली के रूप में उपयोग में लिया तथा अनुसूचित जाति की महिला की भूमि को अंतरित कर सदोष कब्जा कर अधिकारों में उपभोग में हस्तक्षेप किया है तथा अनुसूचित जाति की महिला की सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए कूटरचित दस्तावेज तैयार किया है।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि उक्त पट्टों की शुरुआत के लिए नियमन शुल्क अदा करवाया जाना आवश्यक है। ऐसा कोई नियमन शुल्क जमा करवाया जाना अप्रार्थी संख्या एक के रिकॉर्ड में नहीं है। प्रार्थीया प्रेमलता व कानाराम के हस्ताक्षर फर्जी है जिसकी पुष्टी एफ.एस.एल से भी होती है। ऐसी स्थिति में जारी आक्षेपित पट्टा से सम्परिवर्तन आदेश कायम रखे जाने योग्य नहीं है। आवेदन प्रस्तुत करने का तथ्य हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण के हस्ताक्षरों से होना नहीं पाया गया है और यह तथ्य नोटेरी असलम के फौजदारी केस में हुए बयानों से भी स्पष्ट हुआ है कि प्रार्थीया प्रेमलता व कानाराम उनके समक्ष उपस्थित नहीं आये। अप्रार्थी संख्या 1 के कर्मचारी के बयानों से भी प्रार्थीगण के बयान नहीं होने के संबंध में तथ्य अंकित किया गया है और एफ.एस.एल को झुटलाने के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है। ऐसी स्थिति में तमाम तथ्य इस बात को इंगित करते हैं कि पट्टे के लिये किया गया आवेदन सिर्फ प्रवचना (Fraud) करके किया गया है और इस प्रकार की की गई प्रवचना सारी विधिवत कार्यालय कार्यों को निराधार बताने वाली है। इस संबंध माननीय न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर 1994 पेज नंबर 853 एवं आर एल डब्लू 2016(2) पेज नंबर 1413 प्रस्तुत किया गया। ऐसी निराधार कार्यवाही के आधार पर जारी किया गया सम्परिवर्तन आदेश व पट्टा कायम रखे जाने योग्य नहीं है। अतः निगरानी याचिका प्रार्थीगण की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर आक्षेपित संपरिवर्तन आयुक्त नगर परिषद पाली आदेश दिनांक 24.05.2013 तथा तथा उस सम्परिवर्तन आदेश की अनुपालना में जारी किया गया पट्टा क्रमांक 6859 अपास्त फरमाया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस के दौरान कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा जो भी आदेश पारित होगा उसकी हमारी द्वारा पालना की जावेगी।

6. विद्वान अधिवक्ता वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा यह निगरानी दिनांक 17-02-2022 को न्यायालय में प्रस्तुत की गई जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पट्टा दिनांक 24.05.2013 को जारी किया गया। निगरानी लगभग 9 वर्ष बाद न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। विलम्ब के संबंध में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने कोई कारण नहीं बताया गया है। इस संबंध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे 2023 पेज नंबर 398, आर आर टी 2022(1) पेज नंबर 165, आर बी

संभाषीय आयुक्त,
पाली

जे (19)2012 पेज नंबर 686, आर बी जे (19)2012 पेज नंबर 503, आर बी जे(17) पेज नंबर 2010 पेज नंबर 289, डी एन जे 2023(2) पेज नंबर 583, आर बी जे 2011 पेज नंबर 352, आर बी टी 2023 पेज नंबर 389, आर बी जे 2022 पेज नंबर 186, आर बी टी 2023 पेज नंबर 398 प्रस्तुत किये। अपीलान्ट के विरुद्ध एफ.आई.आर दर्ज हुई है, बाद अनुसंधान अपीलान्ट के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत हुये है जबकि हमारे विरुद्ध दर्ज एफ.आई.आर. पर एफ.आर प्रस्तुत हुई हैं। पंजीबद्ध पट्टा सिविल कोर्ट के द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। राजस्व न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध पट्टा को निरस्त नहीं किया जा सकता है। पंजीबद्ध पट्टा केवल सिविल न्यायालय को ही निरस्त करने का अधिकार है। इस संबंध में डब्लु एल सी (राज.) 2016(3) पेज नंबर 627 तथा डी एन जे (राज.) 2021(1)पेज नंबर 186 प्रस्तुत किये गये। अतः प्रार्थीगण की निगरानी खारिज फरमाई जावे।

7. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि यह निगरानी प्रार्थीगण द्वारा नगर परिषद, पाली द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अंतर्गत भूमि का पट्टा विलेख 8859 दिनांक 24.05.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई। बाद अवलोकन पाया कि अपीलाधीन पट्टा विलेख दिनांक 08.10.2013 के द्वारा उप पंजीयक, रोहट (पाली) के द्वारा पंजीबद्ध किया गया है। पंजीबद्ध पट्टा को निरस्त करने का अधिकार, राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। हम विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट्स के इस तर्क से सहमत है कि पंजीबद्ध पट्टा को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। इस बिन्दु पर विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट्स द्वारा जो नजीरे पेश की गई है तथा इस विषय में उन नजीरो में जो सिद्धान्त प्रतिपादित है, वे प्रश्नगत प्रकरण पर पूर्णतया चरपा ज्ञाती है। अतः हम उन नजीरो में प्रतिपादित सिद्धान्तों से भी पूर्णतया सहमत है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश पर निर्णय करने का अधिकार न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में नहीं होकर सिविल न्यायालय में है। प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ कार्यालय का आदेश दिनांक 24-05-2013 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ कार्यालय आदेश दिनांक 24-05-2013 का मूल रिकॉर्ड वापस प्रेषित किया जावे। पत्रावली दर्ज फौसल होकर बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर की जाये।

संभागीय आयुक्त,
पाली

यह निर्णय आज दिनांक 30 मई, 2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे-इजलास सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
पाली